संख्या– 119/छत्तीस-2.2016

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
श्रम विभाग,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त ज़िलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

श्रम विभाग अनुभाग–2 **लखनऊ दिनॉक : 20 जनवरी, 2016**

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा श्रम विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्रांक–1560/78–2–2015–53आई0टी0/2008 दिनांक 23.09.2015 द्वारा विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाओं में इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से इ–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया। जिससे प्रदेश में आम जनमानस को शासकीय सेवाओं को त्वरित गति एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जा सके।

वर्तमान में 26 शासकीय सेवायें ई–डिलीवरी के माध्यम से प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करायी जा रही है। तत्क्रम में निर्णय लिया गया है कि श्रम विभाग के अन्तर्गत की चयनित सेवाओं को आई.टी.एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित कर लिया जाये ताकि 26 शासकीय सेवाओं की तरह श्रम विभाग की सेवाओं को भी जन सामान्य को जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों एवं जन सूविधा केन्द्र (ई–गवर्नेन्स) के माध्यम से भी सुगमतापूर्वक आम जनमानस को उपलब्ध कराया जा सके।

2. आई0टी0 विभाग उ0प्र0 शासन के द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की **निम्नवत सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये** जाने का निर्देश दिया गया है –

S.No	Services
1	श्रमिक पंजीयन
2	श्रमिक अंशदान
3	योजनाओं हेतु आवेदन

तत्क्रम में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आई0टी0 समिति में विस्तृत रूप से विचार विमर्श के उपरान्त **आधार कार्ड आधारित आन लाईन श्रमिक पंजीयन एवं अंशदान तथा योजनाओं में आवेदन की सुविधा** उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया और तत्क्रम में बोर्ड के द्वारा आधार कार्ड आधारित वेबसाइट तैयार किया गया और वेबसाइट की

लिकेंज ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कराई गई और पेमेंट गेटवे की सुविधा को इन्टिग्रेट किया गया जिससे श्रमिक पंजीकरण के आवेदन के साथ ही पेमेंट गेटवे के माध्यम से श्रमिक पंजीयन एवं अंशदान का भुगतान कर सके।

3. यह सुविधा केवल उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगी, जो कि **आधार कार्ड धारक** हैं तथा इस माध्यम से पंजीकरण के समय **नियोजन प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य नहीं है।** यह आवेदन **स्वः घोषणा** पर किया जायेगा। घोषणाएँ निम्न होंगी–

(I) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त प्रविष्टियाँ पूर्णतया सही है और मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

(II) मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा पिछले 12 माह में 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया गया है तथा मेरे द्वारा किसी अन्य स्थान पर निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन नहीं कराया गया है।

आवेदन के समय बैंक **पास–बुक की छायाप्रति एवं आधार कार्ड** की छायाप्रति **अनिवार्य** होगी।

4 आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई–सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र ऑपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर केन्द्र आपरेटर द्वारा आधार नं0 को संबंधित ई–फार्म पर अंकित करेगा एवं श्रमिक की बायोमैट्रिक लेगा। बायोमैट्रिक लेते ही आवेदक का आधार से स्वतः प्रमाणीकरण होगा, उसके उपरान्त श्रमिक पंजीयन का पृष्ठ खुल जायेगा एवं उस पृष्ठ पर आवेदक का नाम, फोटो, पिता का नाम, पता, आयु एवं मोबाइल नं0 (यदि है तो) जो कि उसके द्वारा आधार में अंकित कराया गया होगा, अन्य सूचनाएँ आवेदक से पूछकर अंकित करेगा एवं आवश्यक संलग्नक अपलोड करेगा। इसके उपरान्त केन्द्र आपरेटर द्वारा पेमेंट गेटवे पर जाकर केन्द्र आपरेटर को अपने डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा और आवेदक से अपना शुल्क नगद प्राप्त करेगा। इसके **उपरान्त अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रिंट कर केन्द्र आपरेटर द्वारा श्रमिक को देना होगा।** यह पंजीयन पूर्णतया अस्थायी होगा तथा आवेदक को किसी भी योजना का लाभ सक्षम अधिकारी के सत्यापन उपरान्त ही प्राप्त होगा। सत्यापन हेतु श्रम विभाग के श्रम प्रर्वतन अधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे, जिनका दायित्व होगा कि अपने क्षेत्रों में इस प्रकार पंजीकृत श्रमिकों का सत्यापन 01 माह में पूर्ण कर लें तथा इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दें।

5. जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों पर श्रमिक से श्रम विभाग की सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये **निम्नानुसार यूज़र चार्ज** लिया जायेगा।

क्र0 सं0	**सेवायें**	**यूजर चार्ज का अंश (रू.)**		**पेमेंट गेटवे का अंश**			
		जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों?	csc e-gov के जन सुविधा केन्द्रों	क्रेडिट कार्ड	डेबिट कार्ड	नेट बैंकिंग	कैश कार्ड
1.	श्रमिक पंजीयन	15	15	01 रुपये	75 पैसा	05 रुपये	10 रुपये
2.	श्रमिक अंशदान	15	5	50 पैसा	40 पैसा	05 रुपये	10 रुपये
3.	योजनाओं हेतु आवेदन	15	5	शून्य	शून्य	05 रुपये	10 रुपये

6. श्रम विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पार्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये बिन्दु संख्या–5 की उपरोक्त तालिका के अनुसार यूजर चार्ज लिया जायेगा एवं csc e-gov के जन सुविधा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये बिन्दु संख्या–5 की उपरोक्त तालिका के अनुसार यूजर चार्ज लिया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 119(1)/छत्तीस-2-2016 तद दिनॉक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्रमायुक्त, उ0प्र0 जी0टी0 रोड कानपुर।
4. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
5. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ ।
6. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेष।
7. सचिव, बोर्ड।
8. महाप्रबंधक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, लखनऊ।
9. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त एवं प्रभारी श्रम प्रर्वतन अधिकारी।

आज्ञा से,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव